भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **3117**
उत्तर देने की तारीख: 18 दिसंबर, 2025

अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की योजना

3117. डॉ. संबित पात्रा:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के अनुसूचित जनजाति-बहुल क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों, विशेषकर नए और पहली पीढ़ी के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का युवाओं में उद्यमशीलता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में कोई विशेष योजना लागू करने का विचार है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुसूचित जनजाति-बहुल क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से बनाई गई योजनाओं के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आवंटित धन और किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय अपने दो अभिकरणों (एजेंसियों) अर्थात् भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से जनजातीय समुदायों द्वारा की जा रही आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसके परिणामस्वरुप उनके आर्थिक विकास को प्रभावित किया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ट्राइफेड के माध्यम से 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' योजना को लागू कर रहा है, जो जनजातीय उद्यमिता पहलों को सशक्त बनाने और प्राकृतिक संसाधनों, कृषि/लघु वन उत्पाद (एमएफपी)/गैर-कृषि उपज के अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधित, इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाने की परिकल्पना करता है। इस योजना के तहत, प्रत्येक वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को 15.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो एमएफपी/गैर-एमएफपी की मूल्यवर्धन गतिविधियों का केंद्र हैं। वर्ष 2019-20 में इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से, अब तक 12,27,231 सदस्यों को जोडते हुए कुल 4105 वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) को मंजूरी दी गई है। इसके

अतिरिक्त, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) पहल के तहत, 45,924 सदस्यों को जोड़ते हुए कुल 539 वीडीवीके को मंजूरी दी गई है। इसका राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

ट्राइफेड, जनजातीय कारीगरों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए पश्चवर्ती और अग्रिम संपर्क (लिंकेज) भी प्रदान करता है, जो धातु शिल्प, कपड़ा, आभूषण, चित्रकला, बेंत और बांस, टेराकोटा और मिट्टी के बर्तनों के साथ-साथ जैविक और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों सहित विभिन्न श्रेणियों में जनजातीय उत्पादों के विपणन की सुविधा प्रदान करता है। इन उत्पादों का विपणन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफार्मों के माध्यम से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, पीएमजेवीएम योजना में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर लघु वन उपज (एमएफपी) की खरीद का प्रावधान है, जिससे एमएफपी संग्रह में उनके प्रयासों की रक्षा होती है। इसके अलावा, ट्राइफेड, जनजातीय कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने, संभावित खरीदारों के साथ जुड़ने और अपने उद्यमशीलता अवसरों को बढ़ाने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए त्योहारों, प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों का आयोजन करता है और उसमें भाग लेता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है, जो पात्र अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों/एसएचजी को आय सृजन गतिविधियों और स्व-रोजगार के लिए रियायती ऋण प्रदान करके क्रेडिट लिंकेज की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैंः

- सावधि ऋण योजनाः एनएसटीएफडीसी 50 लाख रुपये प्रति इकाई तक की लागत वाली व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत, परियोजना लागत का 90% तक वित्त पोषित किया जाता है, शेष राशि सब्सिडी, संवर्धक (प्रमोटर) का योगदान या मार्जिन राशि के माध्यम से कवर की जाती है।

- आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आर्थिक रुप से सशक्त बनाने के लिए यह एक समर्पित योजना है, जो प्रति वर्ष 4% की अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर प्रति परियोजना 2 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है, जिसमें परियोजना लागत का 90% तक शामिल होता है।

- स्वयं सहायता समूह के लिए सूक्ष्म ऋण योजना (एमसीएफ): स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की छोटी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। इस योजना के तहत, प्रति सदस्य को 50,000 रुपये तक और प्रति एसएचजी को अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

- आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई) एक शिक्षा ऋण योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में पीएच.डी. कार्यक्रमों सहित तकनीकी और व्यावसायिक (पेशेवर) शिक्षा प्राप्त करने में अनुसूचित जनजाति के छात्रों की सहायता करना है। प्रति पात्र परिवार को 6% वार्षिक की रियायती ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पिछले तीन वर्षों में एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के तहत संवितरित ऋणों और लाभार्थियों की राज्यवार धनराशि अनुलग्नक-II में दी गई है।

मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों को रियायती वित्त प्रदान करके भारत में अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष (वेंचर कैपिटल फंड) (वीसीएफ-एसटी) भी शुरू किया है। वीसीएफ-एसटी योजना की शुरुआत से सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

क्र.सं.	राज्य	लाभार्थी	स्वीकृत वित्तीय सहायता की धनराशि (करोड़ों रुपये में)
1	छत्तीसगढ़	हेमल फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड	3.41
2	तेलंगाना	हार्लेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	5.00

दिनांक 18.12.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं.3117 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदार्भित अनुलग्नक-I

पीएम जेवीएम वीडीवीके				
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत वीडीवीके	लाभार्थी	स्वीकृत निधियां (लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	415	123258	6162.9
2	अरुणाचल प्रदेश	106	32897	1590
3	असम	483	146909	7245
4	छत्तीसगढ़	139	41700	2085
5	दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव	1	302	15
6	गोवा	10	3000	150
7	गुजरात	200	57968	2895.65
8	हिमाचल प्रदेश	4	1110	55.5
9	जम्मू और कश्मीर	100	29791	1457
10	झारखंड	146	43701	2174.7
11	कर्नाटक	140	41748	2087.4
12	केरल	44	12038	597.25
13	लद्दाख	10	3000	150
14	मध्य प्रदेश	126	37860	1890
15	महाराष्ट्र	279	83850	4185
16	मणिपुर	204	61,493	3051.8
17	मेघालय	169	50835	2534.1
18	मिजोरम	286	84268	4211.55
19	नागालैंड	347	104068	5203.4
20	ओडिशा	170	50094	2479.25
21	राजस्थान	505	152362	7513.55
22	सिक्किम	80	23801	1169.05
23	तमिलनाडु	8	2400	120
24	तेलंगाना	17	5100	255
25	त्रिपुरा	57	16116	776
26	उत्तर प्रदेश	25	7238	359.55
27	उत्तराखंड	12	3605	179.95
28	पश्चिम बंगाल	22	6719	329.35
कुल		4105	1227231	60922.95

दिनांक 18.12.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3117 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदार्भित अनुलग्नक-I

पीएम-जनमन वीडीवीके				
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत वीडीवीके	लाभार्थी	स्वीकृत निधियां (लाख में)
1	अंडमान और निकोबार	1	56	2.80
2	आंध्र प्रदेश	73	6162	307.55
3	छत्तीसगढ़	16	2395	119.75
4	गुजरात	21	1050	52.50
5	झारखंड	35	2876	143.80
6	कर्नाटक	33	1836	91.80
7	केरल	7	537	26.85
8	मध्य प्रदेश	83	5091	254.50
9	महाराष्ट्र	40	3624	181.20
10	मणिपुर	2	600	30.00
11	ओडिशा	66	5244	262.95
12	राजस्थान	51	8842	442.10
13	तमिलनाडु	37	2403	120.15
14	तेलंगाना	25	1427	73.05
15	त्रिपुरा	30	2550	127.50
16	उत्तराखंड	9	634	31.70
17	उत्तर प्रदेश	5	319	15.95
18	पश्चिम बंगाल	5	278	13.9
	कुल	539	45924	2298.05

दिनांक **18.12.2025** के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. **3117** के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदार्भित अनुलग्नक-**II**

पिछले तीन वर्षों में एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के तहत संवितरित ऋणों की राज्यवार धनराशि और लाभार्थी

क्र.सं.	राज्य	2022-23		2023-24		2024-25	
		राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	4119.80	13669	5551.49	27221	6039.21	12899
2	अंडमान और निकोबार	-	-	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	699.90	1835	25.77	13	17.88	17
4	असम	-	-	40.02	43	24.24	21
5	बिहार	-	-	3.06	3	0	0
6	छत्तीसगढ़	295.69	1216	227.29	503	499.43	4837
7	दादरा और नगर हवेली	-	-	4.55	6	0	0
8	गोवा	-	-	0.22	1	0	0
9	गुजरात	1019.61	5224	2810.12	11848	4931.39	18461
10	हरियाणा	-	-	0	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	56.90	120	2.19	2	30.60	33
12	जम्मू और कश्मीर	1272.54	535	295.19	106	1102.49	409
13	झारखंड	3.00	756	684.25	1703	247.45	135
14	कर्नाटक	1582.42	1927	853.41	1003	1854.44	1368
15	केरल	720.73	666	446.74	258	684.80	567
	लद्दाख					73.53	13
16	मध्य प्रदेश	5392.05	10857	1759.58	828	1660.72	1582
17	महाराष्ट्र	658.19	1204	2523.52	1528	567.76	1005
18	मणिपुर	25.00	57	235.49	174	102.80	65
19	मेघालय	470.60	1227	475.91	1193	298.09	112
20	मिजोरम	5295.74	3584	6856.69	4573	6948.28	3529
21	नागालैंड	20.39	1	1199.77	771	627.08	282
22	ओडिशा	63.19	4337	362.35	17025	883.56	15045
23	राजस्थान	789.35	1856	712.22	885	130.16	1091
24	सिक्किम	-	-	34.23	27	201.63	46
25	तमिलनाडु	1087.13	3403	3265.67	7327	1210.39	6437
26	तेलंगाना	4583.99	11861	3218.52	11369	5174.31	10777
27	त्रिपुरा	48.02	20	2014.62	2234	1695.98	569
28	उत्तर प्रदेश	-	-	3.37	4	1.92	2
29	उत्तराखंड	81.42	244	32.59	8	85.81	628
30	पश्चिम बंगाल	1643.34	8393	1526.59	4486	2233.75	8828
	कुल	29929.00	72992	24221.12	52432	37327.70	88758

*****